

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2517 /अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, जून 08 , 2017
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/62, दि० 26.05.2017,
उ०प्र०शासन का पत्रांक-भा०स०-92/14-2-2017-800(13)/2016, दि० 06.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-2444/अलीगढ़/14208/2015, दि० 31.05.2017 द्वारा शासन के समसंख्यक पत्र दि० 19.05.2017 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्ताव की स्थिति से अवगत कराते हुए आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु विचारार्थ सम्मिलित करने का अनुरोध किया जा चुका है, जिसकी शासन को भी पृष्ठांकित की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर पुनः प्रेषित है।

अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को शासन स्तर से आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु विचारार्थ सम्मिलित करने हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वाई०एस०के०ओ०प्र०कुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-2444/अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, मई 31, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/62, दि० 26.05.2017,
उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी-54/14-2-2017-800(194)/2016, दि० 19.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु विचारार्थ सम्मिलित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(वाई०एस०के० शेषकृमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-2444 / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।

(वाई०एस०के० शेषकृमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।